आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक–30.01.2026 को आहूत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक माह जनवरी–2026 की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. श्री गिरिवर दयाल सिंह, आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
2. श्री अरूण कुमार, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
3. श्री कुमार प्रशांत, अपर समाहर्त्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर – सदस्य।

कार्यवाहीः–

1. आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
2. विगत बैठक दिनांक–09.01.2026 की कार्यवाही के अनुपालन का निदेश दिया गया।
3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।
4. सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :–

क्र0	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का निर्देश एवं शपथ–पत्र, वांछित कागजात।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
6	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
7	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में vehicle location tracking device स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।
9	परिवहन विभाग, बिहार अधिसूचना संख्या 8866 दिनांक 09.07.2024	मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल–2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करने के संबंध में।

5. माह दिसम्बर–2025 एवं जनवरी–2026 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त हुए कुल–20 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसका समेकित विवरण निम्नवत् है:–

नये आवेदन	लंबित आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस
19	0	09	04	06

6. **प्राधिकार की बैठक दिनांक 30.10.2024, 14.11.2024 एवं 29.08.2025 को समय अन्तराल पर सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय निम्नवत् है :–**

(क) प्रारंभिक / मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :– किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(i) पटना या मुजफ्फरपुर से किसी भी मार्ग पर परिचालित वाहनों के प्रस्थान समय के पहले या बाद में न्यूनतम 3 (तीन) मिनट समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर किसी अन्य पड़ाव स्थल से परिचालित वाहनों के लिए मार्ग भिन्न होने की स्थिति में यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम हो तब भी प्रारंभिक स्थल पर पहले या बाद में न्यूनतम समय अन्तराल 3 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा। यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक हो तो प्रारंभिक स्थल पर पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :–किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले या बाद में (Before/After) न्यूनतम 03 (तीन) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक / मुख्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले या बाद में 03 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा।

(ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहनों का प्रारंभिक / मुख्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट (पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर) अनुमान्य होगा, परन्तु मार्ग भिन्न एवं कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम होने पर पहले या बाद में समय अन्तराल 3 मिनट अनुमान्य होगा।

(ग) प्राधिकार की बैठक दिनांक–30.05.2025 को समय–अन्तराल पर प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :– किसी बस पड़ाव से अलग–अलग गंतव्य तक यात्रियों के आवागमन के लिए पड़ाव के भिन्न बिन्दु / स्थल से पूर्णतः भिन्न मार्गों पर बसों के परिचालन की स्थिति में कंडिका 6 (क)(ख) को शिथिल किया जा सकेगा।

7. **Overlapping of Route** एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है, दूसरे मार्ग के परमिट धारक आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट है कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो एवं एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से कम आच्छादित करता हो तो दोनों मार्गों को भिन्न मानते हुए परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा तथा जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो तो उन दोनों मार्गो को समान मानते हुए तद्नुसार परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा।

8. **नये आवेदन संबंधी दिशा निर्देश :–**परमिट निर्गत करने हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन, प्रकाशित समय–सारणी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर लिया जाता है। किसी प्रकार का त्रुटि न हो इसके लिए कार्यालय अभिलेख के रूप में निम्नलिखित कागजातों की पठनीय / स्व–अभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा करना आवश्यक है :–

(i) निबंधन–पुस्त की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) टैक्स की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(iii) दुरूस्ती प्रमाण–पत्र (Fitness) की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
(iv) बीमा प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
(v) प्रदूषण प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
(vi) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
(vii) HSRP स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
(viii) आवेदित मार्ग का वैद्य नक्शा/नजरी नक्शा की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
(ix) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन।
(x) विहित प्रपत्र में 22 बिंदू का शपथ–पत्र।

नोटः–शपथ पत्र पर निबंधन पुस्त के अनुरूप ही वाहन स्वामी का नाम/पता अंकित किया जाएगा।)

(xi) वाहन के अन्दर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ (वाहन–6, वाहन स्वामी–1)
(xii)वाहन स्वामी का आधार कार्ड/पैन कार्ड/आवासीय प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
(xiii) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर।
(xiv) वाहन के चालक एवं कंडक्टर की अनुज्ञप्ति स्व–अभिप्रमाणित प्रति।
(xv) पुराना परमिट समय–सारणी के साथ (यदि वाहन परमिट से आवृत्त हो)
(xvi) बैनर का नाम (बैनर अंतर्गत परिचालित सभी वाहनों की सूची अवश्य संलग्न करें)
(xvii) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (मोबाईल नं0 एवं पिन कोड सहित) लिखित **लिफाफा 26 रूपये डाक टिकट के साथ**, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।

(xviii) समय–सारणी (विहित प्रपत्र में) –मार्ग संख्या के साथ अंकित भाया के अनुरूप समय–सारणी का प्रकाशन करते हुए उसकी मूल प्रति समर्पित की जाए। दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर एवं अधिसूचित मार्ग के अनुरूप पड़ाव स्थल अंकित नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा शपथ–पत्र में उल्लेख करना होगा कि समय–सारणी में कहीं भी गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

समय–सारणी का प्रपत्र

वाहन संख्या–............... रूट संख्या–.......... (...................से............तक) वाया–.............

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

9. आवेदित वाहनों के समय–सारणी का प्रकाशनः–

(i) प्राधिकार के निर्णयानुसार आवेदक द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन एवं मूल संचिका में संलग्न समय–सारणी को बिना संशोधित किए दावा/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु कार्यालय के वेबसाईट पर तथा सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना है। अतः आवेदक की जिम्मेवारी है कि अधिसूचित मार्ग संख्या एवं अंकित भाया के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन एवं त्रुटि रहित समय–सारणी समर्पित की जाए। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन में विसंगति पाये जाने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) यदि किसी वाहन को परमिट की स्वीकृति दी जाती है तथा बाद में समय–सारणी या वाहन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होता है, तब प्राधिकार द्वारा तथ्यों की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

10. आपत्ति आमंत्रित करनाः–

(i) प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदनों को एजेंडा के रूप में संकलित किया जाता है एवं "पहले आओ–पहले पाओ" First in-First out (FIFO) के नियम के आधार पर आवेदन को तिथि/समय के क्रमानुसार संधारित किया जाता है।

(ii) समय–सारणी प्रकाशन पर आपत्ति के लिए शुल्क के रूप में 1000/–रू0 निर्धारित है।
(iii) प्राधिकार को समय–सारणी प्रकाशन पर आपत्ति से इतर किसी विशेष सूचना देने पर कोई आपत्ति शुल्क देय नहीं है। कार्यालय सूचना को एजेंडा/प्रोसिडिंग मे प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

11. **आपत्तिकर्ता का दायित्व :–**

(i) आपत्तिकर्ता परमिट से आवृत वाहनों से ही आपत्ति दर्ज करेंगे एव आपत्ति करते समय संबंधित वाहनों के सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, इन्सुरेंस, फिटनेश, प्रदूषण, एच0एस0आर0पी0, भी0एल0टी0डी0 अद्यतन एवं अधिरोपित जुर्माना की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा मान्य कागजात/जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना रू0 10000/– अधिरोपित किया जाएगा तथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह का आवेदन स्वयं उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारणवश वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हो सके तो अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण पत्र एवं संबंधित प्रतिनिधि का पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करते हुए कार्यालय के काउण्टर पर जमा किया जा सकता हैं।

(iii) प्रायः देखा जा रहा है कि वास्ते लिखकर एक प्रतिनिधि द्वारा अनेक वाहन स्वामी का हस्ताक्षर कर बेवजह आपत्ति दर्ज किया जा रहा है, जिससे अवांछित आपत्ति प्राप्त होता रहता है एवं कार्यालय का समय बर्बाद होता है। अतः आपत्ति/आवेदन की प्रमाणिकता स्थापित हो सके इसके लिए भविष्य में वास्ते से हस्ताक्षरित सभी आवेदन /आपत्ति में वाहन स्वामी का प्राधिकरण पत्र एवं पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। प्राधिकरण पत्र की एक मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, ताकि जरूरत पड़ने पर छायाप्रति को मूल कार्यालय प्रति से मिलान किया जा सके।

(iv) कार्यालय में किसी काम से आनेवाले प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ वाहन स्वामी द्वारा उनके नाम से निर्गत प्राधिकरण पत्र के साथ मान्य पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य है, जाँच के दौरान उक्त का उल्लंघन करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

(v) यदि किसी वाहन स्वामी को अपनी शिकायत/बात रखनी हो तो इस प्राधिकार का ई–मेलः– rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर जानकारी को ऑनलाईन भेज सकते हैं अथवा संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, तिरहुत, मुजफ्फरपुर के समक्ष उपस्थित होकर शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं।

12. **वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी/गति सीमा :–** सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :–

क्र0 सं0	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि0मी0 में)
1	0–5	असीमित
2	5–10	600
3	10–15	400
4	15 वर्ष से अधिक	100

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन की आयु परमिट की वैधता की तिथि के पूर्व ही 15 वर्ष हो जायेगी, उसके वाहन स्वामी 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पहले उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे।

13. **गति सीमा का पालन :–** सभी आवेदक/वाहन स्वामी से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ–पत्र **(अनुलग्नक–1)** में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए

स्पष्टउल्लेख करना अनिवार्य होगा कि **आवेदित वाहन के समय–सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही समय–सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो।** इससे आपत्तिकर्त्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका–8 में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

सामान्य बस– 20–60 कि0मी0/घंटा

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनान्तर्गत–10–60 कि0मी0/घंटा

14. **उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ–पहले पाओ :–** जिन वाहन स्वामी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया अपना कर आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की अगली बैठक में **"पहले आओ–पहले पाओ" First in-First out (FIFO)** के नियम के आधार पर **आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार** विचार किया जाएगा।

15. **स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण :–**

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।

(i) परमिट की मूल प्रति।

(ii) फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (यदि वाहन हाईपोथिकेशन पर हो)

(iii) प्रयोजन का साक्ष्य।

(iv) आधार कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(v) सनहा (यदि परमिट खो गया हो/नष्ट हो गया हो)

नोट :–स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण (यदि फाईनेन्सर द्वारा गाड़ी की नीलामी की गई हो) :–

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या–01 पर जमा कराना आवश्यक है।

(i) परमिट की मूल प्रति।

(ii) फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

(iii) फाईनेन्सर का अनुशंसा पत्र (विक्रय किए गए वाहन स्वामी का सभी संबंधित दस्तावेज अनुलग्नक के साथ)

(iv) प्रयोजन का साक्ष्य।

(v) फाईनेन्सर का निबंधन संबंधी साक्ष्य।

(vi) सनहा (यदि परमिट की मूल प्रति फाईनेन्सर को सुपूर्द नहीं किया गया हो)

16. **(क) स्टेज कैरेज परमिट का स्वामित्व हस्तानांतरण :–**

परमिट होल्ड करना :–

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या–01 पर जमा कराना आवश्यक है।

(i) परमिट की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ii) प्राधिकार को की गई सूचना की स्वअभिप्रमाणित प्रति। **(यदि लागू हो तो सक्षम प्रधिकार से निर्गत वंशावली)**

(iii) वाहन स्वामी की स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड/मृत्यु की स्थिति में सक्षम प्रधिकार से निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र।

(ख) परमिट रिस्टोर करना :–

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या–01 पर जमा कराना आवश्यक है।

(i) परमिट की मूल प्रति।

(ii) वाहन के सभी मान्य कागजात की स्अभिप्रमाणित प्रति।

(iii) स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड।

(iv) प्रयोजन का साक्ष्य।

(v) स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का फोटो (वाहन–6, वाहन स्वामी–1)

(vi) मोटरयान निरीक्षक, का जाँच प्रतिवेदन।

(ग) नये एजेंट अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन :–

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या–01 पर जमा कराना आवश्यक है।

(i) आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ii) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।

(iii) उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(iv) शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(v) आवेदक का फोटा–03

(घ) एजेंट अनुज्ञप्ति का नवीकरण हेतु आवेदन :–

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या–01 पर जमा कराना आवश्यक है।

(i) आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ii) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।

(iii) उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(iv) शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(v) आवेदक का फोटो–02

(vi) एजेंट अनुज्ञप्ति की मूल प्रति।

17. सामान्य निदेश

(I) इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को सारण/दरभंगा प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :– परमिट प्राप्त बस, जो सारण/दरभंगा के क्षेत्राधिकार से गुजरते है, वे परमिट निर्गमण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है। अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को इस प्राधिकार द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक–379 दिनांक–14.01.2025 के आलोक में निर्धारित शुल्क प्राप्त करते हुए परमिट प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा सूचित किया गया है कि प्रतिहस्ताक्षर हेतु विलम्ब शुल्क स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः अधिक स्पष्टता हेतु सूचित किया जाता है कि अन्य प्राधिकार से निर्गत/नवीकृत परमिट प्रतिहस्ताक्षर हेतु निम्नवत विलम्ब शुल्क देय होगा :–

क्र0सं0	विलम्ब तिथि	विलम्ब शुल्क
1	निर्गत तिथि से 15 दिनों तक	शून्य
2	निर्गत तिथि से 30 दिनों तक	रू0– 500/–
3	निर्गत तिथि से 30 से 60 दिनों तक	रू0– 1000/–
4	निर्गत तिथि के 60 से 90 दिनों के अंदर	रू0– 2000/–
5	निर्गत तिथि के 90 से 180 दिनों के अंदर	रू0– 4000/–
6	निर्गत तिथि के 180 दिनों के बाद	रू0– 20000/–

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव /सभी परमिटधारी)

(II) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :– जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन किया जा रहा है, वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ वाहन स्वामी द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय–सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे है। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है।

यदि किसी वाहन का स्टेज कैरेज परमिट किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकर से निर्गत है एवं उसका परिचालन मार्ग बिहार राज्य/इस प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत पड़ता है, तो उस परमिट को भी राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना से प्रतिहस्ताक्षर होना/कराया जाना अनिवार्य है। प्राप्त आसूचना के अनुसार एवं बसों के जाँच के क्रम में ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य से परमिट प्राप्त कर बिना प्रतिहस्ताक्षर के ही इस राज्य/तिरहुत प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है।

अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया जाता है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमंडलान्तर्गत/आर0टी0ए0 सचिव /सभी परमिटधारी)

(III) परमिट प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने की स्थिति में पुनः परमिट हेतु आवेदन :– यदि किसी वाहन के परमिट का प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व से धारित परमिट प्रत्यर्पण करने के पश्चात ही नये परमिट हेतु आवेदन किया जाएगा। बिना परमिट प्रत्यर्पण किये नये परमिट हेतु आवेदन करने की स्थिति में यह माना जायेगा कि प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत होने के पश्चात भी उक्त परमिट पर पूरे मार्ग में वाहन का परिचालन किया जा रहा है और इस आधार पर जुर्माना के साथ एवं पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करने की शर्त पर परमिट की स्वीकृति दी जायेगी। **परमिट की प्रतिहस्ताक्षर अन्य प्राधिकार से अस्वीकृत होने की स्थिति में छः माह के पूर्व भी परमिट का प्रत्यर्पण किया जा सकता है।**

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव /सभी परमिटधारी)

(IV) बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :– सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत् बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राईवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 30.06.2023 की बैठक में सभी बस मालिकों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि अपने बसों के दोनों तरफ **(i) परमिटधारी का नाम एवं पता (ii) परमिट संख्या एवं वैधता (iii) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (iv) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर** अनिवार्य रूप से अंकित करा लें।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि बसों की जाँच उपरोक्त निदेशानुसार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत /सभी परमिटधारी)

(V) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होनाः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय किया जाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0–6479, दिनांक–30.09.2022 द्वारा VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–177,179

एवं धारा–190(2) का उल्लंघन माना जाएगा एवं तदनुसार उक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक–5549, दिनांक–14.07.2023 द्वारा भी परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, परन्तु अभी भी कतिपय बस मालिकों द्वारा अपने बस में V.L.T.D. स्थापित नहीं कराया गया है।

अतएव सभी वाहन मालिकों को निदेश है कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) **स्थापित (Install) कराना सुनिश्चित करें। V.L.T.D. स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे। साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में V.L.T.D. स्थापित कराना सुनिश्चित करें,** अन्यथा V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को पुनः निदेश दिया गया कि बसों में V.L.T.D. की सक्रियता की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत /सभी परमिटधारी)

(VI) स्टेज कैरेज परमिट की शर्त्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई :–

परमिट से संबंधित इस प्राधिकार के द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय, राज्य परिवहन प्राधिकार, पटना के निर्णय एवं विभागीय निदेश के आलोक में समय–समय पर सूचनाओं को समाचार पत्र एवं इस प्राधिकार के वेबसाईट के माध्यम से प्रचारित किया जाता है तथा उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम–1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली–1989, बिहार मोटरयान नियमावली–1992 एवं बिहार करारोपण अधिनियम–1994 की सुसंगत धाराओं एवं नियम के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(VII) बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :–सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गयी कि वे **बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे** अन्यथा उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराहन् 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

(VIII) सशर्त्त परमिट स्वीकृति के मामलों में शर्त्त का अनुपालन/जुर्माना राशि अदा करना :– प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से जिन आवेदनकर्त्ताओं का आवेदन सशर्त्त स्वीकृत किया गया, उनसे अद्यतन मान्य कागजात, अधिभार की राशि, प्रक्रिया शुल्क एवं यदि जुर्माना किया गया हो तो जुर्माना की राशि चालान से 10 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से जमा कराकर तदनुसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। **यदि आगामी बैठक से पहले तक वे अपना परमिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को निष्पादित (dispose off) करते हुए उक्त टाइम स्लॉट को खाली कर दिया जाएगा।** कई वाहन स्वामियों द्वारा आवेदन दिया गया है कि **कोर्ट में जुर्माना लंबित होने के कारण अनुपालन में देरी होती है,** वैसे वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि प्रतिमाह आवेदन देने के अंतिम तिथि के पूर्व सभी जुर्माना जमा करा कर निष्पादन करा लें। जुर्माना जमा होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किया जायेगा। कोर्ट में लंबित जुर्माना निष्पादित करने हेतु कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि आवेदन की तिथि से कम से कम अगले 3 (तीन) माह तक वाहन का सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि परमिट को उनके घर भेजने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(IX) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :– परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण–पत्र, बीमा, दुरूस्ती प्रमाण–पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ–पत्र इत्यादि की जाँच कर, बैठक में

लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालनः आर०टी०ए० सचिव/लिपिक)

(X) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :– प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन स्वामी परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। **बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है।** इस तरह के मामले पर आयुक्त–सह–अध्यक्ष द्वारा सभी डी०टी०ओ० को जाँच कर विधि सम्मत् कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालनः सभी डी०टी०ओ० तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

(XI) प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :– प्राधिकार द्वारा निदेश दिया गया कि प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन स्वामी या उनके **वैध प्रतिनिधि** (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई०डी० कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे।

(XII) समान मार्ग संख्या वाले परमिट से कार्यालय अभ्युक्ति अंकित किया जाना :– कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमिटों के मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया जाता है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया जाता है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमिट से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध में विचार किया जाता है, जिसपर आपत्ति प्राप्त होती है। मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।

(XIII) परमिट यात्रियों की सुविधा हेतुः– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा लगातार टाईम स्लॉट में चार–पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है। टाईम–स्लॉट घेर कर रखा जाता है, ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सके। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी। **परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम–स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम–स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सके एवं यात्रीगणों को सुविधा मिले।**

(XIV) फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र के संबंध में कार्रवाई :– प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण–पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा सभी बसों के बीमा प्रमाण–पत्र की जाँच कराने का निर्णय लिया गया। यदि किसी वाहन का **बीमा प्रमाण–पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।**

(XV) आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :–

(क) वाहन स्वामियों को पुनः निदेश दिया गया कि परमिट से आवृत वाहनों के लिए किसी अन्य मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन देना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले पूर्व का परमिट **कार्यालय में प्रत्यर्पित कराना सुनिश्चित करें,** ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत किया जा सके, अन्यथा बाद में प्रत्यर्पित परमिट पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन पूर्व से परमिट से आवृत्त है एवं उसी वाहन से उसी मार्ग पर नया परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया हो तो परमिट प्रत्यर्पण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु परमिट निर्गमन की तिथि से छः माह बाद ही नया आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ग) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन के समय का टकराव उनके अन्य परमिट आवृत्त वाहन से हो रहा हो एवं वाहन स्वामी खेप कटाव नहीं चाहते हों तो इसके लिए पूर्व से निर्गत परमिट का प्रत्यर्पण करना आवश्यक होगा।

नोट :–राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में स्थायी परमिट का प्रत्यर्पण परमिट निर्गमन की तिथि से छः माह के बाद ही संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्यर्पण की शर्त्त पर नया परमिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(XVI) दो पड़ावों के बीच दूरी :– कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग–अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय सॉफ्टवेयर में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाएगा। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को सॉफ्टवेयर में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा।

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक)

(XVII) High Security Registration Plate :– केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के समक्ष परमिट हेतु प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न फोटो की जाँच करने पर पता चलता है कि कतिपय वाहनों में H.S.R.P. नहीं लगा है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वे अपने सभी परमिट आवृत वाहनों एवं आवेदित वाहनों पर H.S.R.P. लगाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व से लगाये H.S.R.P. को वाहन पोर्टल पर अद्यतन कराना भी सुनिश्चित करें यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। H.S.R.P. अद्यतन नहीं होने पर प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि H.S.R.P. अद्यतन कराने संबंधी वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों को शीध्र निष्पादित करें एवं अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी वाहनों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करें।

(XVIII) नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :– क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा।

(XIX) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना :– (क) अपर सचिव परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–14344 दिनांक–11.12.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत परमिट प्राप्त करने हेतु मार्गो के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि (i) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभुक वाहन का परिचालन अपने प्रखंड से/होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक के लिए परिवहन विभाग के अधिसूचित मार्ग का चयन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बस का ठहराव उस प्रखंड मुख्यालय में अवश्य हो जहाँ के लिए उक्त योजनान्तर्गत लाभुक का चयन किया गया है। (ii) यदि लाभुक कोई नया मार्ग हेतु आवेदन देना चाहते है जो उनके प्रखंड मुख्यालय से होते हुए/से जिला मुख्यालय/निकटवर्ती जिला मुख्यालय को जाता हो तो नया मार्ग को अधिसूचित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जा सकता है, ताकि परिवहन विभाग से मार्ग अधिसूचित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकें।

(ख) उक्त योजना के लाभुकों द्वारा MMPPY मार्ग पर परमिट हेतु आवेदनों पर वर्णित योजना हेतु विशेष रूप से मार्ग अधिसूचित होने के कारण केवल MMPPY बसों से आपत्ति मान्य किया गया है।

(ग) उक्त योजना के लाभुकों द्वारा यदि सामान्य मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है तब सामान्य मार्ग पर परिचालित बसों से आपत्ति मान्य किया गया है।

इस योजना से आच्छादित लाभुकों को परमिट हेतु आवेदन संबंधित सारी जानकारी देने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालनः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

(XX) वाहन के पंजीकरण प्रमाण–पत्र में मोबाईल नं0 अद्यतन कराने के संबंध में :– परिवहन विभाग, बिहार
पटना द्वारा चालक अनुज्ञप्ति तथा वाहन पंजीकरण प्रमाण–पत्र से मोबाईल नं0 लिंक नही रहने पर कार्रवाई करने का निदेश संसूचित है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वाहन के पंजीकरण प्रमाण–पत्र में मोबाईल नं0 अद्यतन करा लें अन्यथा विधिसम्मत् कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालनः सभी परमिटधारी)

(XXI) यात्री वाहनों में परमिट शर्तों के अनुरूप आवश्यक सामग्री/उपकरण उपलब्ध कराना :– सवारी गाड़ी में परमिट शर्त के अनुसार अग्निशामक उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु सुरक्षित सीटें, आपातकालीन निकास द्वार, शिकायत पंजी, वाहन कक्ष की समुचित सफाई की व्यवस्था, अश्लील गाना बजाने पर निषेध आदि का प्रावधान है। परन्तु वाहनों में इन आवश्यक पहलुओं के अभाव में यात्री सुरक्षा/सुविधा प्रभावित होती है। अतः वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि अपने वाहन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि उक्त का अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों के विरूद्ध जाँच कर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत परमिट शर्तों के उल्लंघन से संबंधित धाराओं के अधीन नियमानुसार जुर्माना/आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालनः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

(XXII) परमिट के नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन करने के संबंध में निर्णय :– परमिट नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं ऑनलाईन किये जाने वाले वैसे मामले :–

(i) जिसमे परमिट पर अंकित सभी भाया संबंधित मार्ग पर अच्छादित/अंकित हो तो उस मार्ग के अन्य ठहराव स्थल को बाईपास कर परमिटों का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ii) जिसमें अधिसूचित मार्ग पर अंकित भाया से पुराने परमिटों में अंकित कुछ भाया अतिरिक्त जुड़े हुए हैं, तो वैसे मामलों में संबंधित वाहन स्वामी के अनुरोध के आलोक में उनसे प्रथम श्रेणी दंण्डाधिकारी से निर्गत शपथ–पत्र के साथ सहमति पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त भाया को विलोपित करते हुए जाँचोपरान्त यथा उपयुक्त अधिसूचित मार्ग पर नवीकरण/प्रतिस्थापन किया जा सकेगा।

(iii) जिसमें अबतक मार्ग अधिसूचित नहीं हो पाया है उसे परिवहन विभाग, बिहार, पटना को मार्ग अधिसूचित करने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। इस तरह के मामले पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, की बैठक में आवेदनों के निष्पादन हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

(अनुपालनः आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक)

18. स्थायी स्टेज कैरेज परमिट से संबंधित प्राधिकार का अन्य निर्णय :–

(i) कतिपय वाहन स्वामीयों एवं ट्रांसपोर्ट एशोसिएशन के द्वारा सूचित किया गया है कि पर्व–त्योहार/मेला/विशेष प्रयोजन में यात्रियों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त सभी प्रकार के बसों को आवश्यकतानुसार स्पेशल परमिट निर्गत करने का निर्णय लिया जाता है। परमिट निर्गत करते समय यह देखा जाएगा कि दूरी के अनुसार अनावश्यक ठहराव कम से कम हो।

(ii) परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन अनुमान्य दूरी के अनुरूप किया जाना है, वाहन स्वामियों का दायित्व है कि निर्धारित समय सीमा में वाहनों को उच्च मॉडल से प्रतिस्थापन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है, उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(iv) बिहार मोटरयान नियमावली–1922 के नियम–16(c) एवं 29(l) के अनुसार वाहन चालक तथा कंडक्टर का दायित्व है कि वाहन के यात्री कम्पार्टमेंट को साफ एवं स्वच्छ रखें जिससे यात्रियों के स्वास्थ्य–रक्षा सुनिश्चित हो सके, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों/कंडक्टरों/वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(v) किसी भी स्थिति में आवेदित समय–सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन नहीं किया जाएगा।

(vi) परमिट हेतु आवेदन में समय–सारणी को छोड़कर अन्य लिपिकीय भूल/त्रुटि को सूधार करते हुए जुर्माना के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

(vii) आगामी बैठक में 22 बिन्दु का अद्यतन शपथ–पत्र (अनुलग्नक–1) आवेदन संचिका में संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे।

(viii) श्री गाँधी प्रसाद सिंह वास्ते अमर ज्योति ट्रेवल्स द्वारा कार्यालय को सूचित किया गया है कि सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर मार्ग पर प्राप्त परमिटधारियों द्वारा अपने वाहन पर पटना तक परिचालन का बोर्ड/डिस्पले लगाया जाता है जो परमिट शर्तों का उल्लंघन है साथ ही यात्रियों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके आलोक में सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार से वाहनों पर अवैध बोर्ड/डिस्पले का अधिष्ठापन न करें, पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ix) परमिट संबंधी मामलों में जनहित एवं जीवनक्षति को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त के अलावे प्राधिकार द्वारा अन्य निर्णय भी लिए जा सकते है।

स्वच्छ एवं स्वस्थ व्यवस्था बनाने में वाहन स्वामियों, आपत्तिकर्त्ताओं एवं अन्य पक्षकारों से अपेक्षाओं के साथ अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

अपर समाहर्त्ता (राजस्व), –सह– सदस्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।	02/2/26 **संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।**	2/2/26 **आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।**

ज्ञापांक 59 मुजफ्फरपुर, दिनांक 03/02/2026

प्रतिलिपि :– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/दरभंगा/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/2/26

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक

	माह–जनवरी–2026 दिनांक–30.01.2026 की कार्यावली। समयः–11:30 बजे पूर्वाहन से, स्थानः–आयुक्त कार्यालय, प्रकोष्ठ	

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक दिनांक–**30.01.2026** की कार्यावली।				पृष्ट सं0
कार्यावली सं0–(1)	1	गत बैठक दिनांक 09.01.2026 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन	परिशिष्ट–I	
कार्यावली सं0–(2)	प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत शक्ति के तहत किये गये कार्यो की सूची।		परिशिष्ट–II	
	(I)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट – (01 से 28 दिन) तक।		
	(II)	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन) तक।		
	(III)	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी का स्थायी परमिट (05 वर्षो के लिए)		
	(IV)	जनता मालवाहक का स्थायी परमिट (05 वर्षो के लिए)		
	(V)	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (एक वर्ष)।		
	(VI)	प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण एवं स्थायी वाहन प्रतिस्थापन किये गये परमिटों की सूची।		
	(VII)	अध्यक्षीय आदेश के आलोक में बैठक में सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित एवं रद्द किये गए परमिटों की सूची।	परिशिष्ट–III	
कार्यावली सं0–(3)	(i)	बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट–IV	

कार्यावली सं0–(1) परिशिष्ट–I	गत बैठक दिनांक 09.01.2026 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन ।	
क्रमांक	कार्यवाही	अनुपालन
1	कार्यवाही (3) बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय।	अनुपालन किया जा रहा है।

कार्यावली संख्या–2(I-VII)   परिशिष्ट–II

प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूचीः–दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026 तक।

1	बस का अस्थायी (विशेष) परमिटं (01 से 28 दिन)–अस्थायी (विशेष) परमिट संख्या– BR2026-SPL-0606A तक।
2	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन)– अस्थायी परमिट संख्या – शून्य।
3	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी स्थायी परमिट (05 वर्ष)– स्थायी परमिट संख्या– शून्य।
4	जनता मालवाहक हल्का वाहन/मध्यम वाहन एवं भारी वाहन का स्थायी परमिट (05 वर्ष)– स्थायी परमिट संख्या– शून्य।
5	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (01 वर्ष)– स्थायी परमिट संख्या– शून्य।

कार्यावली संख्या–2 (VI) परिशिष्ट–II					
प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गये परमिटों की सूची।					
क्र0सं0	वाहन स्वामी का नाम/पता	वाहन संख्या /निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	नवीकृत परमिट की वैद्यता	अभियुक्ति
1	SHEELA MISHRA, WARD NO 10 RASULPUR ZILANI HPO MUSHARI KAZIMDPUR Muzaffarpur Bihar 842001	BR06PF2682, 8/14/2015	BR2020/SC/0512A	30-Sep-30	
2	M/S ALOK TRAVELS, LRP ROAD KOLHUAN DADAR NEW ZERO MILE DADAR AHIYAPUR Muzaffarpur Bihar 842004	BR06PE9516, 3/20/2020	BR2021-SC-0024A	17-Jan-31	
3	VISHWAJIT MISHRA, RASULPUR JILANI CHAKAR ROAD Muzaffarpur Bihar 800001	BR06PE0039, 6/1/2019	BR/106/SC/917/2010	28-Dec-30	
4	RAKESHKUMAR JHA, AT NAYA TOLA PO SPEAKAR CHOWK MUZAFFARPUR Muzaffarpur Bihar 842001	BR06PC4151, 7/24/2014	0606/2010	22-Jul-30	
5	MANOJ KUMAR YADAV, BIBIGANJ BAGHWANPUR PS SADAR MUSAHRI Muzaffarpur Bihar 842001	BR06PE9721, 5/27/2019	BR2021-SC-0035A	18-Jan-31	
6	RENU SHARMA U/LA B.S.R.T.C., SHEOHAR KUANWAN KUAMA Sheohar Bihar 843325	BR06PE4769, 9/30/2019	574/2019	15-Oct-29	
7	AMRENDRA TIWARY, WARD NO 10 MAJHAULI DHARMDAS SERPUR MIC MUSAHRI Muzaffarpur Bihar 842005	BR06PE2768, 4/29/2019	0001/2016	24-Jan-31	
8	ALOK KUMAR PANDEY, AT-PAKDI DUMARIYA DIST-EAST CHAMPARAN MOTIHARI Purba Champaran Bihar 845423	BR05PA3844, 12/29/2015	BR2021-SC-0150A	3-Feb-31	
9	M/S ANAND TRAVELS, AT KOLHUA DADAR NEW ZERO MILE PS AHIYAPUR MUZAFFARPUR Muzaffarpur Bihar 999999	BR06PC9049, 3/14/2016	0091/2011	3-Feb-31	
10	SHEET BASANT TRANSCORP PVT LTD, SHEET BASANT FUEL SERVICE NH 28 KANTI KASBA INFRONT OF Muzaffarpur Bihar 842001	BR06PE2396, 2/28/2019	BR/106/SC/BUS/2019/2	26-Nov-29	

कार्यावली संख्या–2 (VI) परिशिष्ट–II

प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन परमिट से आवृत्त वाहनों के प्रतिस्थापन की सूची।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम/पता	परमिट संख्या	परमिट पर आवृत वाहन संख्या	प्रतिस्थापित वाहन संख्या	अभियुक्ति
1	M/S AMAR JOYTI TRAVELS, IMLICHATTI PO MIT PS BRHAMPURA Muzaffarpur Bihar 842003	BR/106/SC/341/2012	BR06PG7751	BR06PB0751	

कार्यावली संख्या–2–(VII) परिशिष्ट–III

परमिट नामान्तरित किये गये परमिटों की सूची।

क्र0सं0	परमिटधारी का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	अभ्युक्ति
1	नामांतरित किये गये परमिटों की संख्या– शुन्य।			

कार्यावली संख्या–3(I) – परिशिष्ट–IV						जनवरी– 2026			
एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
1	श्री रामबाबु प्रसाद, पिता–श्री किशोरी लाल साह, पता–वार्ड नं0–11 कमलदह धरमपुर, जिला–सीतामढ़ी। बैनर का नाम– नितु राजा।	बी.आर. 06 पी.जी.–9095 26.11.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 06 पी.जी.–9095 टैक्स–18.02.2026 फिटनेश–25.11.2027 इन्शुरेंस–18.11.2026 प्रदूषण–25.11.2026 वीएलटीडी–18.12.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–3792 पटना से बेतिया। भाया–हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर बस स्टैन्ड, रौशनपानापुर, कॉटी, महनाबाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपराकोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना–आना। पटना प्र0–17:48 बेतिया प्र0–08:51	1. आपत्तिकर्ता श्री मुन्ना प्रसाद राय वास्ते किरण शुक्ला, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0जी0–8551, परमिट संख्या–बी0आर0 2025 एस0सी0 3041ए, मार्ग संख्या–3604, बेतिया से पटना, वैधता–17.10.2030 आवेदक मोतिहारी प्र0–10:44, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र0–10:47 समय अन्तराल 03 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0जी0–8551 टैक्स–01.04.2026 फिटनेश–01.07.2027 इन्शुरेंस–04.03.2026 प्रदूषण–02.07.2026 वीएलटीडी–22.06.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मोतिहारी पर समय अन्तराल 03 मिनट अनुमान्य है। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।
					2. एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री सुमंथ वास्ते मोनी कुमारी द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या–बी0आर0 01 पी0आर0–2147, परमिट संख्या–बी0आर0 2025 एस0सी0 1421ए, मार्ग संख्या–3802, मुजफ्फरपुर से पटना, वैधता–15.05.2030 पूर्व से निर्गत है। आवेदक पटना प्र0–17:48, आपत्तिकर्ता पटना प्र0–17:50 समय अन्तराल 02 मिनट।	2. बी0आर0 01 पी0आर0–2147 टैक्स–17.04.2026 फिटनेश–23.07.2026 इन्सुरेंस–17.07.2026 प्रदूषण–21.07.2026 वीएलटीडी–21.07.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग भिन्न। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम। आपत्ति अमान्य।		
					3. एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त गुप्ता ट्रॉन्सपोर्ट द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0सी0–2251, परमिट संख्या–बी0आर0 2023 एस0सी0 1633ए, मार्ग संख्या–4768, रक्सौल से पटना, वैधता–06.06.2028 पूर्व से निर्गत है। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0–12:45, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0–12:43 समय अन्तराल 02 मिनट।	3. बी0आर0 06 पी0सी0–2251 टैक्स–06.03.2026 फिटनेश–03.06.2026 इन्शुरेंस–02.02.2026 प्रदूषण–12.08.2026 वीएलटीडी–27.06.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मुजफ्फरपुर पर समय अन्तराल 02 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक।	सुनवाई के क्रम में आपत्ति अमान्य करते हुए निदेश दिया गया कि आपत्ति विधिसम्मत समयाधीन विहित शुल्क, साक्ष्य एवं पहचान–पत्र संलग्न कर दाखिल की जाय।	

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
2	श्री सुमंथ सौरभ, पिता–श्री कैलाश मिश्रा, पता–कृष्णापुरी, पो0–भगवानपुरचौक, जला–मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम– नहीं।	बी.आर. 06 पी.डी.–2796 08.02.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 06 पी.डी.–2796 टैक्स–07.02.2026 फिटनेश–08.12.2026 इन्शुरेंस–05.12.2026 प्रदूषण–07.12.2026 वीएलटीडी–20.12.2027 एच0एस0आर0पी0–हाँ। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–4768 रक्सौल से पटना। भाया–छपवा, मोतिहारी, पिपराकोठी, चकिया बाजार, साहेबगंज, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना–आना। रक्सौल प्र0–09:52 पटना प्र0–19:54	आपत्तिकर्ता श्री दिनेश वास्ते जितेन्द्र कुमार, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0एफ0–7661, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 1371ए, मार्ग संख्या–4783 डाउन, रक्सौल से मोतिहारी, वैधता–01.08.2029 आवेदक रक्सौल प्र0–09:52, आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र0–09:54 समय अन्तराल 02 मिनट।	बी0आर0 06 पी0एफ0–7661 टैक्स–27.01.2026 फिटनेश–06.08.2027 इन्शुरेंस–27.07.2026 प्रदूषण–30.07.2026 वीएलटीडी–25.07.2027 एच0एस0आर0पी0–हाँ। जुर्माना–नहीं।	आवेदक द्वारा रक्सौल से मोतिहारी पड़ाव के मध्य कोई ठहराव प्रस्तावित नहीं है। आपत्ति अमान्य।	वाहन का निबंधन डिलक्स श्रेणी में है।	स्वीकृत।

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
3	श्री विपुल रंजन कुमार, पिता–श्री रामज्ञान मिश्रा, पता–अंडहरा, पो0–परसौली, जिला–सीतामढ़ी। बैनर का नाम– जय हनुमान।	बी.आर. 30 पी.–4675 22.10.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 30 पी.–4675 टैक्स–21.04.2026 फिटनेश–08.10.2026 इन्सुरेंस–08.10.2026 प्रदूषण–09.09.2026 वीएलटीडी–13.10.2026 एच0एस0आर0पी0–नहीं। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–2344 बेलसंड से सीतामढ़ी, भाया–परसौनी। प्रतिदिन आठ खेप जाना–आना। बेलसंड प्र0–06:35, 08:09, 09:07, 11:43, 13:25, 14:47, 16:08, 17:08 सीतामढ़ी प्र0–07:35, 08:38, 10:17, 12:58, 13:59, 15:43, 16:36, 18:11	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
4	श्री देवेन्द्र कुमार, पिता–श्री ध्रुवनाथ प्रसाद, पता–भवानीपुर जिरात, थाना–छतौनी, जिला–पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम– एन0आर0ए0 गुड़िया।	बी.आर. 06 पी. डी.–9747 13.04.2018 मॉडल 2018	बी.आर. 06 पी.डी.–9747 टैक्स–12.04.2026 फिटनेश–10.12.2027 इन्सुरेंस–08.12.2026 प्रदूषण–09.12.2026 वीएलटीडी–26.12.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–2766 डाउन। मोतिहारी से साहेबगंज, भाया–कोटवा, खजुरिया, केशरिया। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मोतिहारी प्र0–05:54, 11:07, 17:28 साहेबगंज प्र0–08:51, 13:14, 20:00	1. आपत्तिकर्ता श्री उमाकान्त कुमार सिंह वास्ते श्री विशाल आनन्द, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0ई0–3927, परमिट संख्या–बी0आर0 2023 एस0सी0 2947ए, मार्ग संख्या–2465 डाउन, रक्सौल से सिवान, वैधता–10.10.2028 आवेदक मोतिहारी प्र0–05:54, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र0–05:55 समय अन्तराल 01 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0ई0–3927 टैक्स–29.01.2026 फिटनेश–12.08.2027 इन्सुरेंस–02.08.2026 प्रदूषण–05.03.2026 वीएलटीडी–06.08.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	प्रथम खेप में आवेदक का प्रारंभ बिन्दु एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मोतिहारी पर समय अन्तराल 01 मिनट, जबकि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।
					2. आपत्तिकर्ता श्री अभिषेक कुमार, वाहन संख्या–बी0आर0 28 पी0–1992, परमिट संख्या–बी0आर0 2023 एस0सी0 2214ए, मार्ग संख्या–2199, सिवान से मोतिहारी, वैधता–03.08.2028 आवेदक मोतिहारी प्र0–11:07, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र0–11:12 समय अन्तराल 05 मिनट। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि अन्य वाहन बी0आर0 06 पी0ई0 3927 परमिट संख्या–बी0आर0 2023 एस0सी0 2947ए0 मार्ग संख्या–2465 डाउन, रक्सौल से सिवान, वैधता–10.10.2028 तक निर्गत है। आवेदक मोतिहारी प्र0–05:54, आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र0–05:55 समय अन्तराल 01 मिनट।	2. बी0आर0 28 पी0–1992 टैक्स–29.03.2026 फिटनेश–12.03.2026 इन्सुरेंस–18.05.2026 प्रदूषण–08.09.2026 वीएलटीडी–18.02.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं। बी0आर0 06 पी0ई0–3927 टैक्स–29.01.2026 फिटनेश–12.08.2027 इन्सुरेंस–02.08.2026 प्रदूषण–05.03.2026 वीएलटीडी–06.08.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	प्रथम खेप में आवेदक प्रारंभ एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मोतिहारी पर समय अन्तराल 01 मिनट, जबकि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम। आपत्ति अमान्य।	आपत्तिकर्ता का वाहन संख्या बी0आर0 28 पी0 1992, परमिट संख्या–बी0आर0 2023 एस0सी 2947ए0 की वैधता नया परमिट निर्गत होने के कारण समाप्त हो चुका है।	

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
5	श्री वेचन राय, पिता–श्री भिखारी राय, पता–बेलसंड, जिला–सीतामढ़ी। बैनर का नाम–तिरंगा।	बी.आर. 06 पी. ए.–2630 08.06.2010 मॉडल 2010	बी.आर. 06 पी.ए.–2630 टैक्स–07.03.2026 फिटनेश–18.08.2026 इन्श्युरेंस–09.08.2026 प्रदूषण–20.05.2026 वीएलटीडी–12.01.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–2344 बेलसंड से सीतामढ़ी, भाया–परसौनी। प्रतिदिन दो खेप जाना–आना। बेलसंड प्र0–10:45, 12:46 सीतामढ़ी प्र0–12:10, 13:25	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
6	श्री कृष्णा कुमार मिश्रा, पिता–स्व0 गिरजा मिश्रा, पता–भेड़ियाही सोती, पो0–हरिदासपुर, जिला–मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम–नहीं।	बी.आर. 06 पी. सी.–5347 24.03.2015 मॉडल 2015	बी.आर. 06 पी.सी.–5347 टैक्स–17.03.2026 फिटनेश–24.04.2026 इन्श्युरेंस–20.03.2026 प्रदूषण–13.04.2026 वीएलटीडी–30.11.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–4695 मुजफ्फरपुर से गोपालगंज, भाया–पहाड़पुर, मोतीपुर, चकिया, केशरिया, खजुरिया, महम्मदपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना–आना। मुजफ्फरपुर प्र0–07:09 गोपालगंज प्र0–13:39	आपत्ति अप्राप्त।		केशरिया से खजुरिया 07 कि0मी0 की दूरी 30 मिनट में तय करने का प्रस्ताव दिया गया है। गति–14 कि0मी0/घंटा।		गतिसीमा का उल्लंघन होने के कारण अस्वीकृत।
7	श्रीमती विभा कुमारी, पति–श्री रमेशचन्द्र शेखर, पता–लकड़ीडाही, चन्दवरा, जिला–मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम–नहीं।	बी.आर. 06 पी. एफ.–7509 14.07.2023 मॉडल 2023	बी.आर. 06 पी.एफ.–7509 टैक्स–29.03.2026 फिटनेश–13.07.2027 इन्श्युरेंस–13.07.2026 प्रदूषण–13.07.2026 वीएलटीडी–09.08.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–2798 सुस्ता से पटना, भाया–हॉस्पिटल चौक, मरीचा, महुआ, हाजीपुर। प्रतिदिन तीन खेप जाना–आना। सुस्ता प्र0–03:10, 07:55, 12:46 पटना प्र0–05:35, 10:29, 15:29	आपत्ति अप्राप्त।		तृतीय खेप में हॉस्पिटल चौक से सुस्ता 09 कि0मी0 की दूरी 01 घंटा 15 मिनट में तय करने का प्रस्ताव दिया गया है। गति–7.2 कि0मी0/घंटा।		गतिसीमा का उल्लंघन होने के कारण अस्वीकृत।

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
8	श्री नन्द किशोर नारायण, पिता–श्री हरि महादेव प्रसाद शाही, पता–सुप्रिया रोड, जिला–बेतिया (पश्चिम चम्पारण)। बैनर का नाम–शाही ट्रेवल्स।	बी.आर. 22 पी.–6661 21.10.2014 मॉडल 2014	बी.आर. 22 पी.–6661 टैक्स–08.04.2026 फिटनेश–27.01.2026 इन्शुरेंस–21.01.2026 प्रदूषण–22.01.2026 वीएलटीडी–12.10.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–2783 सोनबरसा से बेतिया, भाया–लखनौता, मेहनौल, धरौल, शिखमुखी, पटवन, पारसी, नरकटियागंज, साठी, चनपटिया। प्रतिदिन तीन खेप जाना–आना। सोनबरसा प्र0–05:39, 11:26, 15:46 बेतिया प्र0–09:22, 13:33, 18:14	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
9	श्रीमती जुली भारती, पति–श्री बिकाश कुमार, पता–लकड़ी ढाची चन्दवारा, जिला–मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम–नहीं।	बी.आर. 06 पी.ई.–5689 13.11.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.–5689 टैक्स–10.02.2026 फिटनेश–10.03.2026 इन्शुरेंस–05.03.2026 प्रदूषण–04.01.2027 वीएलटीडी–09.01.2028 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–798 सुस्ता से पटना, भाया–हॉस्पिटल चौक, मरीचा, महुआ, हाजीपुर। प्रतिदिन दो खेप जाना–आना। सुस्ता प्र0–05:15, 11:20 पटना प्र0–08:48, 14:54	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
10	श्री अस्वनी कुमार, पिता–श्री अंगेश चौधरी, पता–मकसुदपुर, पो0+थाना–हाजीपुर, जिला–वैशाली। बैनर का नाम–अमन ट्रेवल्स।	बी.आर. 01 पी.आर.–0039 21.02.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 01 पी.आर.–0039 टैक्स–06.02.2026 फिटनेश–20.02.2027 इन्शुरेंस–06.02.2026 प्रदूषण–20.02.2026 वीएलटीडी–12.03.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–3802 मुजफ्फरपुर से पटना, भाया–रामदयालुनगर, फकुली, टोटहा, भगवानपुर कॉलेज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन दो खेप जाना–आना। मुजफ्फरपुर प्र0–06:31, 12:50 पटना प्र0–08:49, 15:09	1. आपत्तिकर्ता श्री गॉधी प्रसाद वास्ते अमर ज्योति कैरियर्स प्रा0लि0, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0डी0–0151, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 2483ए, मार्ग संख्या–4820 डाउन, पटना से मिठामोड़, वैधता–12.11.2029 आवेदक पटना प्र0–08:49, आपत्तिकर्ता पटना प्र0–08:48 समय अन्तराल 01 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता श्री धीरज कुमार, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0जी0–4874, का कहना है कि पटना प्रस्थान 15:09 समय दिनांक–09.01.2026 को प्राधिकार की बैठक के एजेंडा क्रमांक 11 पर स्वीकृत है।	1. बी0आर0 06 पी0डी0–0151 टैक्स–22.03.2026 फिटनेश–26.06.2026 इन्शुरेंस–20.09.2026 प्रदूषण–18.09.2026 वीएलटीडी–03.06.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं। 2. बी0आर0 06 पी0जी0–4874 टैक्स–01.02.2026 फिटनेश–01.11.2026 इन्शुरेंस–01.11.2026 प्रदूषण–31.10.2026 वीएलटीडी–28.01.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।		आवेदन वापस।	आवेदन वापस।

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
11	श्री अजीत कुमार, पिता–राम संजीवन शाही, पता–भिखनपुरा साहबाजपुर, जिला–मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम– नहीं।	बी.आर. 06 पी. ई.–2901 22.05.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.–2901 टैक्स–14.02.2026 फिटनेश–27.06.2027 इन्सुरेंस–22.02.2026 प्रदूषण–12.06.2026 वीएलटीडी–15.06.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–26500/–	मार्ग संख्या–2407 डाउन। बैरिया बस स्टैण्ड से पिपराही, भाया–न्यूजीरोमाईल, मीनापुर, तरियानी, कुशहर, शिवहर। प्रतिदिन चार खेप जाना–आना। बैरिया बस स्टैण्ड प्र0–05:49, 08:48, 12:58, 18:30 पिपराही प्र0–07:02, 10:52, 15:04, 19:53	1. आपत्तिकर्ता श्रीमती सीमा सिंह, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0जी0–1542, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 1376ए, मार्ग संख्या–4786, सुगिया से मुजफ्फरपुर, वैधता–01.08.2029 आवेदक शिवहर प्र0–07:23, आपत्तिकर्ता शिवहर प्र0–07:24 समय अन्तराल 01 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0जी0–1542 टैक्स–01.02.2026 फिटनेश–02.02.2026 इन्सुरेंस–29.01.2026 प्रदूषण–31.01.2026 वीएलटीडी–01.02.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।		आवेदन वापस।	आवेदन वापस।
					2. आपत्तिकर्ता अम्बिका ट्रेवल्स पार्टनर चन्द्रभानु सिंह, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0सी0–8626, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 0324ए, मार्ग संख्या–2407, पिपराही से बैरिया बस स्टैण्ड, वैधता–01.02.2029 आवेदक तरियानी प्र0–06:31, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र0–06:30 समय अन्तराल 01 मिनट।	2. बी0आर0 06 पी0सी0–8626 टैक्स–30.04.2026 फिटनेश–04.02.2026 इन्शुरेंस–28.01.2027 प्रदूषण–03.10.2026 वीएलटीडी–01.11.2026 एच0एस0आर0पी0–नहीं। जुर्माना–नहीं।			
					3. आपत्तिकर्ता श्री कौशल किशोर सिंह, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0ए0–7236, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 0020ए, मार्ग संख्या–2407, पिपराही से बैरिया बस स्टैण्ड, वैधता–01.01.2029 आवेदक पिपराही प्र0–10:52, आपत्तिकर्ता पिपराही प्र0–10:51 आवेदक तरियानी प्र0–13:40, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र0–13:42 समय अन्तराल क्रमशः 01 एवं 02 मिनट।	3. बी0आर0 06 पी0ए0–7236 टैक्स–03.02.2026 फिटनेश–19.07.2026 इन्सुरेंस–30.09.2026 प्रदूषण–09.06.2026 वीएलटीडी–28.07.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।			

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
12	जय माँ सीता, प्रो0 विजय कुमार सिंह, पता–नियर किसान भवन वार्ड नं0–05, छतौनी, जिला–शिवहर। बैनर का नाम–जय माँ सीता।	बी.आर. 06 पी. एफ.–7154 27.06.2023 मॉडल 2023	बी.आर. 06 पी.एफ.–7154 टैक्स–25.03.2026 फिटनेश–26.06.2027 इन्शुरेंस–04.07.2026 प्रदूषण–23.07.2026 वीएलटीडी–27.06.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–2407 पिपराही से बैरिया बस स्टैण्ड, भाया–शिवहर, कुशहर, तरियानी, मीनापुर, जीरोमाईल। प्रतिदिन चार खेप जाना–आना। पिपराही प्र0–06:13, 09:37, 15:38, 18:41 बैरिया बस स्टैण्ड प्र0–08:21, 13:13, 17:30, 19:51	1. आपत्तिकर्ता अम्बिका ट्रेवल्स पार्टनर श्री चन्द्रभानु सिंह, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0सी0–8626, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 0324ए, मार्ग संख्या–2407, पिपराही से बैरिया बस स्टैण्ड, वैधता–01.02.2029 आवेदक तरियानी प्र0–10:13, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र0–10:14 समय अन्तराल 01 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0सी0–8626 टैक्स–30.04.2026 फिटनेश–04.02.2026 इन्शुरेंस–28.01.2027 प्रदूषण–03.10.2026 वीएलटीडी–01.11.2026 एच0एस0आर0पी0–नहीं। जुर्माना–नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु तरियानी पर समय अन्तराल 01 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		द्वितीय एवं तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
					2. आपत्तिकर्ता अम्बिका ट्रेवल्स प्रो0 श्रीमती सीमा सिंह, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0ई0–1826, परमिट संख्या–बी0आर0 2023 एस0सी0 3172ए, मार्ग संख्या–2407, पिपराही से बैरिया बस स्टैण्ड, वैधता–05.11.2028 आवेदक पिपराही प्र0–15:38, आपत्तिकर्ता पिपराही प्र0–15:40 समय अन्तराल 02 मिनट।	2. बी0आर0 06 पी0ई0–1826 टैक्स–26.02.2026 फिटनेश–14.03.2027 इन्शुरेंस–13.02.2026 प्रदूषण–01.11.2026 वीएलटीडी–03.03.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	तृतीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु पिपराही पर समय अन्तराल 02 मिनट, जबकि 07 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य।		

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
13	श्रीमती सुनीता सिन्हा, पति–श्री अनिल सिंह, पता–कॉंटा, पो0–सुस्ता, जिला–मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम–नहीं।	बी.आर. 06 पी. ई.–5429 31.10.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.–5429 टैक्स–21.01.2026 फिटनेश–23.11.2027 इन्शुरेंस–04.01.2027 प्रदूषण–21.06.2026 वीएलटीडी–13.11.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–4786 डाउन। मुजफ्फरपुर से सुगिया, भाया–मीनापुर, तरियानी, शिवहर। प्रतिदिन चार खेप जाना–आना। मुजफ्फरपुर प्र0–04:24, 11:07, 15:14, 20:06 सुगिया प्र0–06:55, 12:58, 16:52, 22:00	1. आपत्तिकर्ता श्री मुकेश कुमार गुप्ता, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0सी0–5748, परमिट संख्या–बी0आर0 2025 एस0सी0 2726ए, मार्ग संख्या–3716, अख्ता से मुजफ्फरपुर, वैधता–05.09.2030 आवेदक तरियानी प्र0–13:34, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र0–13:36 समय अन्तराल 02 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0सी0–5748 टैक्स–29.01.2026 फिटनेश–11.08.2026 इन्शुरेंस–09.01.2027 प्रदूषण–11.07.2026 वीएलटीडी–24.08.2026 एच0एस0आर0पी0–नहीं। जुर्माना–नहीं।		आवेदन वापस।	आवेदन वापस।
					2. आपत्तिकर्ता श्री चन्द्रभानु सिंह, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0जी0–1581, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 2819ए, मार्ग संख्या–4786 डाउन, मुजफ्फरपुर से सुगिया, वैधता–13.12.2029 आवेदक मीनापुर प्र0–07:50, आपत्तिकर्ता मीनापुर प्र0–07:48 समय अन्तराल 02 मिनट।	2. बी0आर0 06 पी0जी0–1581 टैक्स–06.02.2026 फिटनेश–05.02.2026 इन्शुरेंस–24.01.2026 प्रदूषण–31.01.2026 वीएलटीडी–29.01.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।			
					3. आपत्तिकर्ता श्री चन्द्रभानु सिंह, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0एफ0–3438, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 2801ए, मार्ग संख्या–4786 डाउन, मुजफ्फरपुर से सुगिया, वैधता–13.12.2029 आवेदक तरियानी प्र0–20:49, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र0–20:47 समय अन्तराल 02 मिनट।	3. बी0आर0 06 पी0एफ0–3438 टैक्स–29.03.2026 फिटनेश–15.04.2026 इन्शुरेंस–03.04.2026 प्रदूषण–16.05.2026 वीएलटीडी–18.03.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।			
					4. आपत्तिकर्ता श्री चन्द्रभानु सिंह, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0ए0–5936, परमिट संख्या–बी0आर0 2022 एस0सी0 0151ए, मार्ग संख्या–2407, पिपराही से बैरिया बस स्टैण्ड, वैधता–13.01.2027 आवेदक मीनापुर प्र0–11:31, आपत्तिकर्ता मीनापुर प्र0–11:32 समय अन्तराल 01 मिनट।	4. बी0आर0 06 पी0ए0–5936 टैक्स–05.04.2026 फिटनेश–11.03.2026 इन्शुरेंस–01.12.2026 प्रदूषण–28.11.2026 वीएलटीडी–15.01.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।			

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
14	श्री ऋषि राज, पिता—श्री नागेन्द्र राम, पता—अम्बेदकर रोड, चाँदनी चौक, जिला—मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम—नहीं।	न्यु बस, चेचिस नंम्बर—MAT514016REC04404	न्यु बस	मार्ग संख्या—2766 साहेबगंज से मोतिहारी, भाया—केसरिया, खजुरिया, कोटवा। प्रतिदिन दो खेप जाना—आना। साहेबगंज प्र0—06:45, 14:15 मोतिहारी प्र0—10:20, 16:18	आपत्तिकर्ता श्रीमती गीता देवी का कहना है कि मार्ग संख्या—2766, साहेबगंज से मोतिहारी पर आवेदक ने अपने प्रकाशन में 63.5 कि0मी0 के अनुसार प्रकाशन किया गया है जबकि सॉफ्टवेयर में कुल दूरी 70 कि0मी0 दर्ज है।			आवेदन वापस।	आवेदन वापस।
15	श्री अवध किशोर चौधरी / यु / एल0ए0 बी0एस0आर0टी0सी0, पिता—श्री रामस्वारथ चौधरी, पता—कालागार्डेन महसौल, जिला—सीतामढ़ी। बैनर का नाम—नहीं।	बी.आर. 06 पी.ई.—7311 08.06.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.—7311 टैक्स—07.03.2026 फिटनेश—03.07.2027 इन्शुरेंस—16.06.2026 प्रदूषण—16.05.2026 वीएलटीडी—30.06.2026 एच0एस0आर0पी0—हॉ। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—4880 डाउन। भिठामोड़ से पटना, भाया—सुरसंड, सीतामढ़ी, डुमरा, बोहाचौक, गाढ़ा, रून्नीसैदपुर, झपहा, मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना—आना। भिठामोड़ प्र0—09:15 पटना प्र0—18:30	आपत्तिकर्ता श्री सतीश कुमार वास्ते श्रीमती नमीता कुमारी यु / एल0 बी0एस0आर0टी0सी0, वाहन संख्या—बी0आर0 06 पी0बी0—5572, परमिट संख्या—बी0आर0 2024 एस0सी0 2080ए, मार्ग संख्या—2579, पुपरी से पटना, वैधता—07.10.2029 आवेदक पटना प्र0—18:30, आपत्तिकर्ता पटना प्र0—18:30 समय अन्तराल शून्य।	बी0आर0 06 पी0बी0—5572 टैक्स—16.04.2026 फिटनेश—17.01.2027 इन्शुरेंस—06.04.2026 प्रदूषण—29.10.2026 वीएलटीडी—03.08.2026 एच0एस0आर0पी0—नहीं। जुर्माना—3000 / —	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु पटना पर समय अन्तराल शून्य, जबकि 03 मिनट आवश्यक। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक। आपत्ति मान्य।	आपत्तिकर्ता का वाहन बी0एस0आर0टी0सी0 से अनुबंध जून—2025 में समाप्त हो चुका है। अनुबंध विस्तारित हेतु आवेदन किया गया है जो प्रक्रियाधीन है।	अस्वीकृत।

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
16	श्री रामबाबु राय, पिता–श्री राम नरेश राय, पता–रामपुरहरी, थाना–मीनापुर, जिला–मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम– राधे कृष्णा।	बी.आर. 06 पी. ई.–3900 07.08.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.–3900 टैक्स–06.02.2026 फिटनेश–17.08.2027 इन्शुरेंस–10.09.2026 प्रदूषण–03.10.2026 वीएलटीडी–07.08.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–4821 डाउन। सीतामढ़ी से पटना, भाया–डुमरा, लगमा, प्रेमनगर, बाईपास, रून्नीसैदपुर, खनुआघाट, पिपराघाट, झपहा, मुजफ्फरपुर बैरिया, भगवानपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन दो खेप जाना–आना। सीतामढ़ी प्र0–11:20, 19:57 पटना प्र0–15:35, 05:40	1. आपत्तिकर्ता श्री शंकर प्रसाद सिंह वास्ते मेसर्स आलोक ट्रेवल्स, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0ई0–9516, परमिट संख्या–बी0आर0 2021 एस0सी0 0024ए, मार्ग संख्या–2884, जानकी स्थान से मुजफ्फरपुर बस स्टैण्ड, वैधता–17.01.2026 आवेदक सीतामढ़ी प्र0–19:57, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र0–20:00 समय अन्तराल 03 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0ई0–9516 टैक्स–18.03.2026 फिटनेश–19.03.2026 इन्शुरेंस–08.03.2026 प्रदूषण–18.09.2026 वीएलटीडी–24.08.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक का प्रारंभ एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु सीतामढ़ी पर समय अन्तराल 03 अनुमान्य। आपत्ति अमान्य।		
					2. आपत्तिकर्ता श्री मदन मोहन शर्मा, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0सी0–2561, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 0003ए, मार्ग संख्या–4821 डाउन, सीतामढ़ी से पटना, वैधता–31.12.2028 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0–17:43, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0–17:42 समय अन्तराल 01 मिनट।	2. बी0आर0 06 पी0सी0–2561 टैक्स–29.03.2026 फिटनेश–17.07.2026 इन्शुरेंस–25.06.2026 प्रदूषण–03.06.2026 वीएलटीडी–20.06.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	प्रस्थान समय विपरीत दिशा में होने के कारण आपत्ति अमान्य।	एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त आवेदक द्वारा बताया गया है कि मेरा वाहन मुजफुरपुर से सीतामढ़ी की तरफ प्रस्थान कर रही है जबकि आपत्तिकर्ता का वाहन मुजफ्फरपुर से पटना की तरफ प्रस्थान कर रही है।	
					3. आपत्तिकर्ता श्री राकेश कुमार झा, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0सी0–3151, परमिट संख्या–बी0आर0 2025 एस0सी0 2376ए, मार्ग संख्या–52 डाउन, जयनगर से पटना, वैधता–15.08.2030 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0–13:26, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0–13:25 समय अन्तराल 01 मिनट।	3. बी0आर0 06 पी0सी0–3151 टैक्स–23.04.2026 फिटनेश–05.09.2026 इन्शुरेंस–27.08.2026 प्रदूषण–25.08.2026 वीएलटीडी–17.10.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	प्रथम खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मुजफ्फरपुर पर समय अन्तराल 01 मिनट, कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम। आपत्ति अमान्य।	एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री शन्नी पटेल एवं श्री शंकर प्रसाद सिंह वास्ते आलोक ट्रेवल्स द्वारा सूचित किया गया है कि वाहन संख्या बी0आर0 30 पी0 ए0 9861 परमिट संख्या–बी0आर0 2023 एस0सी0 2193ए0 का मुजफ्फरपुर प्रस्थान 07:53 पूर्वाह्न समय पूर्व से निर्गत है। आवेदक एवं प्राप्त सूचना का मुजफ्फरपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 02 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। सूचना मान्य।	द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
					4. आपत्तिकर्ता श्री सुमंथ सौरभ वास्ते श्री कैलाश मिश्रा, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0जी0–0696, परमिट संख्या–बी0आर0 2025 एस0सी0 2735ए, मार्ग संख्या–4752 डाउन, पटना से बेतिया, वैधता–05.09.2030 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0–22:44, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0–22:46 समय अन्तराल 02 मिनट।	4. बी0आर0 06 पी0जी0–0696 टैक्स–13.05.2026, फिटनेश–22.11.2027 इन्शुरेंस–13.11.2026, प्रदूषण–12.11.2026 वीएलटीडी–30.11.2027, एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मुजफ्फरपुर पर समय अन्तराल 02 मिनट, कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम। आपत्ति अमान्य।		
					5. आपत्तिकर्ता श्री वलिन्द्र राय पार्टनर अमर ज्योति ट्रेवल्स, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0बी0–3051, परमिट संख्या–बी0आर0 2022 एस0सी0 0395ए, मार्ग संख्या–4822, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर, वैधता–20.02.2027 आवेदक सीतामढ़ी प्र0–11:20, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र0–11:15 समय अन्तराल 05 मिनट।	5. बी0आर0 06 पी0बी0–3051 टैक्स–09.03.2026, फिटनेश–18.10.2026 इन्शुरेंस–29.10.2026, प्रदूषण–12.08.2026 वीएलटीडी–03.01.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	प्रथम खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु सीतामढ़ी पर समय अन्तराल 05 मिनट अनुमान्य है। आपत्ति अमान्य।		
					6. आपत्तिकर्ता श्री शन्नी पटेल का कहना है आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट निर्गत है जिसका प्रत्यर्पन किये बिना आवेदन किया गया है।	आवेदित वाहन पर पूर्व से आवृत परमिट का प्रत्यर्पन हेतु आवेदन कार्यालय में दिनांक–09.01.2026 को प्राप्त है।			

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
17	श्री मुक्कु कुमार, पिता–श्री रविन्द्र राय, पता–हाजीपुर, जिला–वैशाली। बैनर का नाम–नहीं।	बी.आर. 31 पी. बी.–4636 07.10.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 31 पी.बी.–4636 टैक्स–02.04.2026 फिटनेश–06.10.2027 इन्शुरेंस–02.10.2026 प्रदूषण–06.10.2026 वीएलटीडी–04.11.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–4885 डाउन पटना से चिकनौटा, भाया–अगमकुआँ, गायघाट, जदुआ, हाजीपुर, महुआ, कुशहर, बरडिहा, पतेपुर। प्रतिदिन दो खेप जाना–आना। पटना प्र0–04:30, 13:30 चिकनौटा प्र0–09:00, 18:00	आपत्ति अप्राप्त।		आवेदित समय–सारणी में विभिन्न पड़ाव पर गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है।		गतिसीमा का उल्लंघन होने के कारण अस्वीकृत।
18	श्री विकाश रंजन, पिता–श्री बिरेन्द्र प्रसाद यादव, पता–अगरपुर लालगंज, जिला–वैशाली। बैनर का नाम–हर हर महादेव।	बी.आर. 06 पी. जी.–4519 08.10.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.–4519 टैक्स–07.04.2026 फिटनेश–07.10.2026 इन्शुरेंस–07.10.2026 प्रदूषण–06.11.2026 वीएलटीडी–06.01.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–2910 नवलपुर से मिठापुर पटना, भाया–बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरेराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मणिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना–आना। नवलपुर प्र0–02:36 मिठापुर पटना प्र0–17:05	आपत्तिकर्ता श्री सौन्दर्य कुमार वास्ते सुनिल कुमार चौबे, वाहन संख्या–बी0आर0 05 पी0बी0–6486, परमिट संख्या–बी0आर0 2022 एस0सी0 1065ए, मार्ग संख्या–2910, नवलपुर से पटना, वैधता–01.05.2027 आवेदक बेतिया प्र0–22:56, आपत्तिकर्ता बेतिया प्र0–22:54 समय अन्तराल 02 मिनट।	बी0आर0 05 पी0बी0–6486 टैक्स–15.03.2026 फिटनेश–28.07.2027 इन्शुरेंस–30.06.2026 प्रदूषण–28.07.2026 वीएलटीडी–16.08.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।		आवेदन वापस।	आवेदन वापस।

एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अम्युक्ति	विवरण	निर्णय
19	श्री राजीव कुमार तिवारी, पिता–श्री तेज नारायण तिवारी, पता–रतनपुर, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर। बैनर का नाम–विश्वजीत।	बी.आर. 30 पी.ए.–2427 08.11.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 30 पी.ए.–2427 टैक्स–31.01.2026 फिटनेश–20.11.2027 इन्शुरेंस–03.05.2026 प्रदूषण–12.04.2026 वीएलटीडी–30.07.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–3465 बेलवाघाट से मुजफ्फरपुर, भाया–पिपराढ़ी, शिवहर, कुशहर, तरियानी, सिवाईपट्टी, बनघाड़ा, मीनापुर, गंज बाजार, झपहां, भिखनपुरा, साहेबगंज, जीरोमाईल। प्रतिदिन तीन खेप जाना–आना। बेलवाघाट प्र0–05:05, 09:53, 13:32 मुजफ्फरपुर प्र0–07:40, 11:42, 16:06	1. आपत्तिकर्ता श्री शंकर प्रसाद सिंह वास्ते मेसर्स आलोक ट्रेवल्स, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0सी0–3589, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 2597ए, मार्ग संख्या–4786, सुगिया से मुजफ्फरपुर, वैधता–22.11.2029 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0–07:40, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0–07:50 समय अन्तराल 10 मिनट।	1. बी0आर0 06 पी0सी0–3589 टैक्स–25.03.2026 फिटनेश–15.09.2026 इन्शुरेंस–05.03.2026 प्रदूषण–20.10.2026 वीएलटीडी–31.10.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।		आवेदन वापस।	आवेदन वापस।
					2. आपत्तिकर्ता श्री अजित कुमार, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0ई0–7136, परमिट संख्या–बी0आर0 2025 एस0सी0 3034ए, मार्ग संख्या–4786, सुगिया से मुजफ्फरपुर, वैधता–17.10.2030 आवेदक तरियानी प्र0–16:49, आपत्तिकर्ता तरियानी प्र0–16:51 समय अन्तराल 02 मिनट।	2. बी0आर0 06 पी0ई0–7136 टैक्स–10.01.2026 फिटनेश–26.01.2026 इन्शुरेंस–10.01.2027 प्रदूषण–25.04.2026 वीएलटीडी–22.01.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–500/–			
					3. आपत्तिकर्ता श्री विजय कुमार सिंह का कहना है कि आवेदक के द्वारा समय–सारणी में बेलबाघाट से मुजफ्फरपुर के बीच न साहेबगंज है और न ही भिखनपुरा है जबकि आवेदक के द्वारा भाया में साहेबंज एवं भिखनपुरा दर्शाया गया है।				
					4. आपत्तिकर्ता श्री श्याम किशोर मिश्रा, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0बी0–8936, परमिट संख्या–00581/2013, मार्ग संख्या–2407, पिपराढ़ी से बैरिया बस स्टैण्ड, वैधता–28.11.2028 आवेदक पिपराढ़ी प्र0–05:25, आपत्तिकर्ता पिपराढ़ी प्र0–05:24 समय अन्तराल 01 मिनट।	4. बी0आर0 06 पी0बी0–8936 टैक्स–18.02.2026 फिटनेश–27.08.2026 इन्शुरेंस–30.08.2026 प्रदूषण–22.08.2026 वीएलटीडी–07.09.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।			

कार्यावली संख्या–3(ii) – परिशिष्ट–V

जनवरी– 2026

अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन पत्रों पर विचार।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम पता एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	विवरण	अभ्युक्ति	निर्णय
1	श्री पवन कुमार, पिता–श्री आशुतोष सिंह, पता–बरूई जगदीशपुर, जिला–मुजफ्फरपुर।	BR06PG-8246 परमिट संख्या– BR2025-SC-3208A टैक्स–29.03.2026 फिटनेश–29.09.2027 इन्शुरेंस–29.09.2026 प्रदुषण–29.09.2026 वी.एल.टी.डी.–25.10.2027 एच0एस0आर0पी0–हाँ। जुर्माना–नहीं।	5500/– 31.12.2025	मार्ग संख्या–1965 मधुबनी से मुजफ्फरपुर, भाया–सकरी, दरभंगा। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मधुबनी प्र0–06:24, 11:44, 17:27 मुजफ्फरपुर प्र0–09:20, 13:55, 20:55	आपत्ति अप्राप्त।			स्वीकृत।
2	श्री मुरारी मोहन झा, पिता–स्व0 डा0 शशि भुषण झा, पता–दरहर लहेरिया सराय बहादुरपुर, जिला–दरभंगा।	BR06PE-3906 परमिट संख्या– BR2025-SC-3207A टैक्स–17.03.2026 फिटनेश–08.08.2027 इन्शुरेंस–18.06.2026 प्रदुषण–25.02.2026 वी.एल.टी.डी.–04.07.2027 एच0एस0आर0पी0–हाँ। जुर्माना–नहीं।	5500/– 31.12.2025	मार्ग संख्या–1965 मधुबनी से मुजफ्फरपुर, भाया–सकरी, दरभंगा। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मधुबनी प्र0–05:57, 11:38, 17:36 मुजफ्फरपुर प्र0–09:12, 14:05, 20:49	आपत्ति अप्राप्त।			स्वीकृत।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम पता एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	विवरण	अभ्युक्ति	निर्णय
3	श्रीमती रेणु शुक्ला, पति–श्री ललन शुक्ला, पता–सुशीला भवन प्रभात नगर गोबरसही, जिला–मुजफ्फरपुर।	BR06RA-5105 परमिट संख्या– BR2025-SC-3206A टैक्स–10.04.2026 फिटनेश–10.10.2027 इन्शुरेंस–02.10.2026 प्रदुषण–10.10.2026 वी.एल.टी.डी.–06.10.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	5500/– 31.12.2025	मार्ग संख्या–1972 मधवापुर से मुजफ्फरपुर, भाया–सहरघाट, पिपरौन, उमगाँव, बासोपट्टी, कलुआही, मधुबनी, सकरी, दरभंगा। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। मधवापुर प्र0–05:38, 17:35 मुजफ्फरपुर प्र0–11:20, 23:25	आपत्तिकर्ता श्री मोहन कुमार सिंह, वाहन संख्या–बी0आर0 06 आर0ए0–6335, परमिट संख्या–बी0आर0 2025 एस0सी0 3251ए, मार्ग संख्या–1965, मधुबनी से मुजफ्फरपुर, वैधता–14.12.3030 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0–11:20, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0–11:22 समय अन्तराल 02 मिनट।	बी0आर0 06 आर0ए0–6335 टैक्स–01.03.2026 फिटनेश–03.12.2027 इन्शुरेंस–30.11.2026 प्रदुषण–03.12.2026 वी.एल.टी.डी.–25.12.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉ। जुर्माना–नहीं।	पहले आओ पहले पाओ के तहत आपत्ति अमान्य। आपत्तिकर्ता का आवेदन प्रतिहस्ताक्षर एजेंडा क्रमांक–06 पर संधारित है।	स्वीकृत।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम पता एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	विवरण	अभ्युक्ति	निर्णय
4	श्री नवनीत कुमार, पिता–श्री अनिल कुमार सिंह, पता–शेखपुर, थाना–अहियापुर, जिला–मुजफ्फरपुर।	BR07P-8011 परमिट संख्या– BR2026-SC-0116A टैक्स–06.02.2026 फिटनेश–08.12.2026 इन्शुरेंस–21.11.2026 प्रदुषण–17.11.2026 वी.एल.टी.डी.–10.07.2026 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	5500/– 10.01.2026	मार्ग संख्या–1965 मधुबनी से मुजफ्फरपुर, भाया–सकरी, दरभंगा। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। मधुबनी प्र0–09:25, 16:03 मुजफ्फरपुर प्र0–12:32, 18:57	आपत्तिकर्ता श्री सुधीर कुमार, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0जी0–0587, परमिट संख्या–बी0आर0 2024 एस0सी0 2446ए, मार्ग संख्या–50, पटना से मधुबनी, वैधता–11.11.2029 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0–18:57, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0–18:58 समय अन्तराल 01 मिनट।	बी0आर0 06 पी0जी0–0587 टैक्स–26.02.2026 फिटनेश–27.11.2027 इन्शुरेंस–26.11.2026 प्रदुषण–25.11.2026 वी.एल.टी.डी.–12.12.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक का प्रारंभ एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मुजफ्फरपुर पर समय अन्तराल 01 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक। आपत्ति मान्य।	द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
5	श्री ऋषीराज, पिता–श्री नागेन्द्र राम, पता–अम्बेदकर रोड चॉदनी चौक, जिला–मुजफ्फरपुर।	BR06PG-8541 परमिट संख्या– BR2026-SC-0127A टैक्स–06.02.2026 फिटनेश–06.02.2027 इन्शुरेंस–05.02.2026 प्रदुषण–06.02.2026 वी.एल.टी.डी.–01.04.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–14500/–	5500/– 10.01.2026	मार्ग संख्या–1965 मधुबनी से मुजफ्फरपुर, भाया–सकरी, दरभंगा। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मधुबनी प्र0–07:22, 12:16, 16:40, 20:39 मुजफ्फरपुर प्र0–10:16, 14:21, 18:46, 22:29	एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त श्री राकेश कुमार मिश्रा का कहना है कि वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0जी0–9151, मार्ग संख्या–415, मुजफ्फरपुर से दरभंगा। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0–14:23, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0–14:21 समय अन्तराल 02 मिनट।	बी0आर0 06 पी0जी0–9151 टैक्स–31.03.2026 फिटनेश–01.04.2027 इन्शुरेंस–29.03.2026 प्रदुषण–01.04.2026 वी.एल.टी.डी.–01.05.2027 एच0एस0आर0पी0–हॉं। जुर्माना–नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु मुजफ्फरपुर पर समय अन्तराल 02 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक। आपत्ति मान्य।	द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।

क्र0 सं0	वाहन स्वामी का नाम पता एवं पूरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	विवरण	अभ्युक्ति	निर्णय
6	श्री मोहन कुमार सिंह, पिता–श्री विपिन विहारी सिंह, पता–केओत्सा थाना गायघाट, जिला–मुजफ्फरपुर।	BR06RA-6335 परमिट संख्या– BR2025-SC-3251A टैक्स–01.03.2026 फिटनेश–03.12.2027 इन्शुरेंस–30.11.2026 प्रदुषण–03.12.2026 वी.एल.टी.डी.–25.12.2027 एच0एस0आर0पी0–हाँ। जुर्माना–नहीं।	5500/– 11.01.2026	मार्ग संख्या–1965 मधुबनी से मुजफ्फरपुर, भाया–सकरी, दरभंगा। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मधुबनी प्र0–04:18, 09:27, 13:28, 18:03 मुजफ्फरपुर प्र0–06:08, 11:22, 15:24, 20:30	आपत्तिकर्ता श्री अरूण कुमार मिश्रा, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0डी0–5851, परमिट संख्या–बी0आर0 2022 एस0सी0 2427ए, मार्ग संख्या–415, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, वैधता–14.11.2027 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0–15:24, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0–15:25 समय अन्तराल 01 मिनट।	बी0आर0 06 पी0डी0–5851 टैक्स–18.04.2026 फिटनेश–13.07.2026 इन्शुरेंस–07.11.2026 प्रदुषण–08.06.2026 वी.एल.टी.डी.–12.05.2027 एच0एस0आर0पी0–हाँ। जुर्माना–नहीं।	तृतीय खेप में आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु मुजफ्फरपुर पर समय अन्तराल 01 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक। आपत्ति मान्य। **पहले आओ पहले पाओ के तहत वाहन संख्या बी0आर0 06 आर0ए0 5105 का प्रतिहस्ताक्षर एजेंडा क्रमांक–03 पर मुजफ्फरपुर प्रस्थान 11:20 स्वीकृत है। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक।**	द्वितीय एवं तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
7	श्री ईस्वर दयाल सिंह, पिता–महेश्वर सिंह, पता–अंडमा बॉकीपुर, पो0–लहरीसराय, जिला–मुजफ्फरपुर।	BR06RA-9035 परमिट संख्या– BR2026-SC-0023A टैक्स–21.03.2026 फिटनेश–22.12.2027 इन्शुरेंस–15.12.2026 प्रदुषण–22.12.2026 वी.एल.टी.डी.–25.12.2027 एच0एस0आर0पी0–हाँ। जुर्माना–नहीं।	5500/– 11.01.2026	मार्ग संख्या–1965 मधुबनी से मुजफ्फरपुर, भाया–सकरी, दरभंगा। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मधुबनी प्र0–06:59, 11:08, 15:17, 19:16 मुजफ्फरपुर प्र0–08:59, 13:05, 17:14, 21:26	आपत्तिकर्ता श्री संजीव कुमार, वाहन संख्या–बी0आर0 06 पी0ई0–3890, परमिट संख्या–बी0आर0 2022 एस0सी0 1301ए, मार्ग संख्या–50, पटना से मधुबनी, वैधता–02.06.2027 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0–13:05, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0–13:06 समय अन्तराल 01 मिनट।	बी0आर0 06 पी0ई0–3890 टैक्स–29.01.2026 फिटनेश–07.12.2025 इन्शुरेंस–13.01.2027 प्रदुषण–03.12.2026 वी.एल.टी.डी.–12.12.2026 एच0एस0आर0पी0–हाँ। जुर्माना–नहीं।	द्वितीय खेप में आवेदक का प्रारंभ एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु मुजफ्फरपुर पर समय अन्तराल 01 मिनट, जबकि 03 मिनट आवश्यक। कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक। आपत्ति मान्य।	द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।

कार्यावली संख्या–3(i) – परिशिष्ट–IV						दिसम्बर–2025			
एजेंडा क्र0	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्त्ता के वाहन का विवरण।	कार्यालय अभ्युक्ति	विवरण	निर्णय
2	श्री शिवचन्द्र सिंह, पिता–श्री जगरनाथ प्रसाद सिंह, पता–कृष्णापुरी, भगवानपुर चौक, जिला–मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम– जय बाबा बर्फानी।	बी.आर. 05 पी. बी.–9296 05.11.2025 मॉडल 2025	बी.आर. 05 पी.बी.–9296 टैक्स–28.01.2027 फिटनेश–04.11.2027 इन्सुरेंस–28.10.2026 प्रदूषण–04.11.2026 वीएलटीडी–23.11.2027 एच0एस0आर0पी0–हाँ। जुर्माना–नहीं।	मार्ग संख्या–2415 शिवहर से मोतिहारी। भाया–लालगढ़, मधुबन, पकड़ीदयाल। प्रतिदिन छः खेप जाना–आना। शिवहर प्र0–05:00, 07:25, 10:20, 12:41, 15:35, 17:42 मोतिहारी प्र0–06:22, 09:00, 11:30, 13:42, 16:40, 18:47	आपत्ति अप्राप्त।		आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में समय–सारणी का पुनः अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि लालगढ़ पड़ाव पर समय ठहराव नहीं दिया गया है एवं मधुबन से शिवहर की कूल दूरी 20 कि0मी0 है तथा तय करने में 30 मिनट के समय का प्रस्ताव दिया गया है।	गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।	स्वीकृत।

अपर समाहर्त्ता (राजस्व)
–सह–सदस्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

आयुक्त–सह–अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।